न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 532/2018

1. बजरंग सिंह पुत्र स्व. श्री छीतर सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री छीतर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. किशन सिंह पुत्र स्व. श्री कबूल सिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र स्व. श्री कबूल सिंह
3. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. श्री सांवत सिंह
4. गोकुल सिंह पुत्र स्व. श्री सांवत सिंह
5. पप्पू सिंह पुत्र स्व. श्री सांवत सिंह
6. लक्ष्मी कंवर धर्मपत्नि स्व. श्री हरि सिंह
7. मानसिंह पुत्र स्व. श्री हरि सिंह
8. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हरि सिंह
9. शेर सिंह पुत्र स्व. श्री हरि सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

10. सोनू कंवर पुत्री स्व. श्री हरि सिंह धर्मपत्नि श्री भंवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम हरिपुरा, तहसील माधोपुरा, जिला सीकर।
11. नथू सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
12. राजू सिंह पुत्र अमर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

13. सुरज्ञा कंवर पुत्री श्री अमर सिंह धर्मपत्नि श्री समुन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम बहादुरपुरा, तन जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
14. रघुवीर सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासीः भारत गैस एजेन्सी के पास, बिदारा रोड, शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. रमा सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासीः तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा।
16. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
17. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

18. हनुमान सिंह पुत्र श्री छीतर सिंह, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
19. श्रीमती लाड कंवर पुत्री स्व. श्री छीतर सिंह धर्मपत्नि श्री किशन सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम छापरकलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

20. श्रीमती सोहनी उर्फ सोनी कंवर पुत्री स्व. छीतर सिंह धर्मपत्नि श्री बाबू सिंह शेखावत, जाति राजपूत, निवासीः ग्राम बागावास अहीरान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

---प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर वाद संख्या 92/2016 उनवानी बजरंग सिंह व अन्य बनाम किशन सिंह व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री रघुवीर सिंह राठौड एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री रामकिशोर यादव एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रे. सं. 1 ल. 9 एवं 11 व 12

निर्णय दिनांकः **30.12.2019**

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के वाद संख्या 92/2016 बउनवानी बजरंग सिंह व अन्य बनाम किशन सिंह व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 16.05.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण वाके ग्राम भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर के रहने वाले व्यक्ति है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 1246/0.0577 एवं 1247/0.0385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर कुल भूमि वाके ग्राम भाबरू, पटवार हल्का भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में स्थित है। खसरा नंबर 1246/0.0577 एवं 1247/0.0385 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/30, प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 10 का हिस्सां 4/30 एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। आज तक खातेदारी संयुक्त रूप से काम में ली जा रही है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण से जब भी खातेदारी का बंटवारा कराने के लिये कहा तब ही किसी न किसी बहाने से बंटवारा करवाने की बात को टालते रहे और धीरे–धीरे बिना बंटवारा करवाये ही उक्त आराजी में पुख्ता निर्माण करवाते रहे जिस पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने एतराज किया तो यह कह कर कि हम आपके हिस्से की भूमि पर कोई निर्माण नहीं करेगे और बात को टालते रहे है। अभी कुछ दिन पूर्व वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जमीन की खुदवाई करके पुख्ता निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से संपर्क कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उनके हिस्से की भूमि पर निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उल्टा नाराज हो गये तथा वादीगण के साथ लडने झगडने पर आमादा हो गये तथा जबरन निर्माण करने की धमकी भी देने लगे जिससे संयुक्त खातेदारी में रहने वादीगण का अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व काश्त करना संभव नहीं रहा है। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद स्वीकार कर हाल खसरा नंबर 1246/0.0577 एवं 1247/0.0385 ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर का विधिवत तकासमा कर, कब्जा पक्षकारान को संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, कोई बाधा उत्पन्न न करे, ना ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 16.05.2018 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि उक्त भूमि के साबिक खसरा नंब 1311/2 थे जो भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी और वर्तमान में भी उक्त कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में भूमि विवादग्रस्त की किस्म गैर मुमकिन चाह अंकित होने का आशय किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को कृषि भूमि ना माने जाने के समक्ष नहीं है। गैर मुमकिन चाह कृषि भूमि का ही एक विकसित रूप है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही मात्र प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर ही अपीलान्ट का वाद खारिज करने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के विवेचन में वाद खारिज करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय विधिवत निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि आराजीयात की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु. चाह के रूप में दर्ज है जिसका विधिवत तकासमा नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को भली भांति समझकर सही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने मात्र अमूल्य समय व्यर्थ करते हुये आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित

राजस्व अपील अधिकारी

अवलोकन पश्चात् पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 1246/0.0577 एवं 1247/0.0385 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0962 हैक्टेयर ग्राम भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर की राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गै.मु. चाह अंकित है जिसके खातेदार अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स शामलाती रूप से दर्ज है। विवादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कथनानुसार कुंआ, बावडी व शिव मंदिर बने हुये है। विवादग्रस्त आराजीयात कि किस्म गै.मु. चाह है। गै.मु. चाह की भूमि का उपयोग सुखाधिकार के रूप में अर्थात उक्त गै.मु.चाह की भूमि में वर्णित खातेदारों की अन्य भूमि को काश्त करने के लिये उपयोग में ली जाती है एवं इसके अभ्रंश अर्थात टुकडे नहीं किये जा सकते है। इस कारण वादी का वाद गै.मु. चाह के विभाजन नहीं किये जाने के कारण विधि अनुरूप नहीं होने से कतई चलने योग्य नहीं है। वकील अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई न्यायिक दृष्टांत या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह विचार किया जावे कि गै.मु. चाह की भूमि का विभाजन किया जाना संभव हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर